**दिनांक 11.07.2023 को सम्पन्न साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक (VC) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित कार्यवाही :–**

**PMGSY**

एजेंडावार समीक्षा के पूर्व सभी कार्य प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि PMGSY-III के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं के DPR का "प्रपत्र–C" अद्यतन कर राज्य तकनीकी एजेंसी (STA) से अनुमोदनोपरान्त पुनः upload किया जाय।

इसके लिये संबंधित DPR परामर्शी से कार्य प्रमंडल सम्पर्क स्थापित कर पथों में स्वीकृत तकनीक/पद्धति के विरूद्ध वास्तव में कराये गये कार्य की तकनीक/पद्धति का विवरण उपलब्ध कराते हुए "प्रपत्र–C" को ससमय upload करने में DPR परामर्शी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे, जिसके लिये विभागीय पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-52/2022-1714, दिनांक–30.06.2023 के माध्यम से भी निदेश निर्गत किया जा चुका है।

**एजेंडावार समीक्षा के क्रम में अद्यतन स्थिति निम्नवत् पायी गयी:–**

1. **BHUVAN Portal के संबंध में** :–

BHUVAN Portal पर प्रमण्डलों द्वारा किये जा रहे त्रुटियों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रमण्डलों की प्रगति असंतोषजनक है। इस कार्य में सबसे धीमी प्रगति वाले 10 कार्य प्रमण्डल औरंगाबाद (26.73%), नरकटियागंज (26.74%), भागलपुर (28.12%), कहलगाँव (44.73%), दरभंगा–1 (29.48%), मुजफ्फरपुर पश्चिम (46.95%), मढ़ौरा (29.92%), झाझा (30.5%), मधुबनी (30.68%) एवं समस्तीपुर (33.02%) है।

**निदेशः–** बैठक में सभी कार्य प्रमण्डलों को निदेशित किया गया है कि इस कार्य को हर हाल में 15 जुलाई 2023 तक पूर्ण कर लिया जाये अन्यथा प्रमण्डलों के बिरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

2. **GPS based VTS के संबंध में** :–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के अंतर्गत पथों के निर्माण के दौरान कार्यरत वाहनों machinery/equipment में GPS के installation कार्य की समीक्षा की गयी जिसमें यह पाया गया कि 325 कार्यरत पथों में से मात्र 262 पथों में 592 GPS को install किया गया है।

**निदेशः–**बैठक में सभी कार्य प्रमण्डलों को निदेशित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के तहत सभी पथों में कार्यरत न्यूनतम 1 machinery/equipment में GPS के installation 15 जुलाई 2023 तक पूर्ण कर लिया जाये।

3. **eMARG के संबंध में** :–

PMGSY योजनान्तर्गत पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षणाधीन पथों का Bi-monthly Routine Inspection eMARG के माध्यम से किया जाना है। माह जून–2023 में किये जाने वाले Bi-monthly Routine Inspection को 100% नहीं करने वाले शीर्ष 10 defaulter कार्य प्रमंडल औरंगाबाद (32 पथ, 32.3%), सिमरी बख्तियारपुर (11 पथ, 35.5%), लखीसराय (9 पथ, 50%), नरकटीयागंज (9 पथ, 60%), रजौली (9 पथ, 30%), टिकारी (7 पथ, 15.2%), धमदाहा (6 पथ, 26.1%), मधेपुरा (6 पथ, 14.6%), फुलपरास (6 पथ, 60%) एवं सहरसा (6 पथ, 31.6%) है।

**निदेशः**—सभी कार्य प्रमंडलों को निदेश दिया गया है कि माह जुलाई—2023 में किये जाने वाले Bi-monthly Routine Inspection को शत प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

4. **Completion of PMGSY-III works**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-III) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के पहली तिमाही में निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, वायसी, त्रिवेणीगंज, मधेपुरा, शिवहर, आरा, उदाकिशुनगंज, पूर्णिया, नीमचक—बथानी, बलिया, बेनीपुर, हथुआ, सीतामढ़ी, कटिहार, हरनौत, औरंगाबाद, मधुबनी, मढ़ौरा, पुपरी, महनार, बेलसंड, बेतिया, रक्सौल, बिहारशरीफ एवं सिवान—1 की उपलब्धि कम रही है।

**निदेशः**—सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निदेष दिया गया।

5. **No progress under PMGSY-III**

OMMAS से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार PMGSY-III अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, दाउदनगर—01 पथ, हरनौत—01 पुल, वायसी—01 पुल, पुपरी—01 पुल एवं विरपुर—01 पुल में वित्तीय/भौतिक रूप से प्रगति शून्य है।

**निदेशः**—सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निदेष दिया गया।

6. **Works to be foreclose under PMGSY-I**

कार्य प्रमंडलों के द्वारा विभिन्न समीक्षा बैठकों में PMGSY-I अन्तर्गत 31 कार्यों को यथास्थिति में बंद किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी है।

NRIDA/MoRD से foreclose किये जाने हेतु मांगे गये वांछित प्रतिवेदन के आलोक में **कार्यों की पूर्ण विवरणी यथा, foreclose के लिये प्रस्तावित लम्बाई, इसका कारण, व्यय विवरणी के साथ कराये गये कार्य की परतवार विवरणी, पथ की अद्यतन स्थिति एवं पथों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये गये मामलों में भी पथों की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन सहित प्रभार प्रतिवेदन** की माँग संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं से की गयी थी, परन्तु कार्य प्रमंडल, बिरौल, खगड़िया, किशनगंज—1, मधुबनी एवं पुपरी से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

**निदेशः**—सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को foreclose किये जाने वाले पथों/पुलों के प्रस्ताव पूर्ण विवरणी के साथ 03 (तीन) दिनों के भीतर उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :— सभी कार्यपालक
अभियंता, कार्य प्रमंडल/सभी
अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल

**वर्ष 2023—24 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में।**

**(A) अस्थाई पुनर्स्थापन (Motorable) कार्य :—**

(1) बाढ़ से प्रभावित होने वाले पथों के सर्वप्रथम Entry Google Sheet पर Initial Flood Damage Road and Bridge वाले Column में की जायेगी।

(2) यदि पथ जलमग्न हो गया हो तो जलस्तर घटने पर पथ का कनीय अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा पथ का निरीक्षण करेंगे एवं पथ के कटाव स्थल का Geotag and Time Stamp Photography कर क्षतिग्रस्तता के संबंध में सूचना Google Sheet तथा MIS पर Upload करेंगे।

(3) जिस पथ में कटाव हुआ है यदि वह पथ संबंधित बसावट को सम्पर्कता प्रदान करने वाला एक मात्र पथ है तो ऐसे पथों में Motorable कार्य त्वरित रूप से प्रारंभ किया जाय। कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने पर स्थल का कई कोण से Geotag and Time Stamp Photography साथ ही Drone के माध्यम से Geotag and Time Stamp Videography करा ली जाय।

(4) यदि कटाव वैकल्पिक मार्ग पर अवस्थित है एवं इस स्थल पर कटाव पूर्व में भी होते रहे हैं तो इस स्थल पर HPC/Slab Culvert/Box Culvert आदि विकल्पों पर विचार कर पूर्ण पुनर्स्थापन का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

यदि कटाव पहली बार हुआ है तो इस भाग के लिए सामान्य रूप से पूर्ण पुनर्स्थापन का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

(5) जल स्तर घटने पर निरीक्षण के क्रम में पाया जाता है कि पथ का Flank आदि क्षतिग्रस्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में FDR के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया जाय।

(6) निर्माणाधीन पथों में प्रायः अत्यधिक वर्षापात होने पर Flank के साथ–साथ Crust के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त होते हैं। ऐसे पथों में भी FDR के अंतर्गत कार्य नहीं कराया जाय।

(7) बसावटों के मध्य भाग में प्रायः वर्षात के मौसम में कीचड़ जमा हो जाते हैं। जिससे बचने के लिए Brick Bat की Soling करने की व्यवस्था कुछ पथों में पूर्व में की गई है। इस Practice को तुरंत बंद किया जाय। ऐसी स्थिति में भी FDR के अंतर्गत कार्य नही कराया जाए।

(8) कटाव स्थल को Motorable बनाने में मदों की वास्तविक मात्रा को MB में Entry करते हुए प्राक्कलन का गठन किया जाय जिसकी जाँच कार्य अंचल द्वारा निर्धारित असंबंद्ध कार्यपालक अभियंता से किया जाना है।

जाँचोपरान्त अधीक्षण अभियंता से Post Facto तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(9) इस प्रकार तैयार किए गए प्राक्कलन, मापी पुस्त एवं Geotag and Time Stamp Photograph को MIS पर Upload किया जाय।

(10) उपरोक्त को Upload करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि प्राक्कलन, मापी पुस्त एवं फोटोग्राफ उन्हीं पथों का हो जिस पथ के नाम के Column में Upload किया जा रहा है।

**(B) स्थायी पुनर्स्थापन** कार्य :–

(क) स्थायी पुनर्स्थापन कार्य में पथ में संवेदक बहाल होने पर अर्थात पथ एकरारित अवधि में होने पर :–

(1) यदि बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ एकरारित अवधि में है तब उक्त पथ के क्षतिग्रस्त भाग का मद विचलन हेतु नियमानुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन का प्रस्ताव उसी शीर्ष से दिया जाए जिस योजना में पथ एकरारित अवधि में है। नियमानुसार पूरक एकरारनामा कर उसी संवेदक से पुनर्स्थापन कार्य करा लिया जाए। उक्त अंश के कार्यों का भुगतान गैर योजना शीर्ष 3054 / FDR से किया जाएगा। पुनर्स्थापन कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन में इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाए कि अस्थाई पुनर्स्थापन कार्य में उपयोग किए गए आवश्यक अवयवों का समुचित समायोजन कर लिया गया है एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन सिर्फ बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग का ही बनाया गया है एवं संवेदक की लापरवाही से कोई क्षति नहीं हुई है।

(ख) यदि बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ एकरारित अवधि के बाहर है :–

(i) बाढ़ से क्षतिग्रस्त वैसे पथ जो एकरारित अवधि के बाहर है अर्थात् जिनपर कोई संवेदक बहाल नहीं है का प्राक्कलन निम्नवत् बनाया जाए :–

(1) यदि बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांश 50% या उससे अधिक है तब पूरे पथ की मरम्मति का प्रस्ताव बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अनुसार समर्पित किया जाए।

(2) यदि बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांश 50% से कम है तब पथ के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति का प्राक्कलन विभाग को समर्पित किया जाए। साथ ही साथ निविदा का प्रकाशन भी कर दिया जाए किन्तु निविदा का निस्तार प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत किया जाय।

अत्यावश्यक होने पर अधीक्षण अभियंता की अनुमति से Short Tender Notice जारी किया जा सकता है।

**(C) पुल–पुलियों का पुनर्स्थापन :–**

(1) बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में अवस्थित पुल–पुलियों के एप्रोच के पुनर्स्थापन का कार्य भी पथों के पुनर्स्थापन कार्य के अनुरूप किया जाए।

(2) बाढ़ के कारण जिन पुल/पुलियों में Structural Damage हुआ है, उनके पुनर्स्थापन का कार्य हेतु मूल योजना से पुनरीक्षित प्राक्कलन का गठन किया जाए यदि वे एकरारित अवधि के अन्दर हों। एकरारित अवधि से बाहर हो चुके पुल/पुलियों की लम्बाई यदि 15 मीटर तक है तो उसके पुनर्स्थापन हेतु प्राक्कलन का गठन गैर योजना शीर्ष 3054 से किया जाए। 15 मीटर से अधिक लम्बाई वाले पुल/पुलियों के प्राक्कलन का गठन कर स्वीकृति हेतु विभाग को भेजी जाय ताकि निधि की उपलब्धता के अनुरूप समुचित शीर्ष से उसकी स्वीकृति दी जा सके।

अनुपालन :– सभी कार्यपालक
अभियंता, कार्य प्रमंडल/सभी
अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल

**<u>MR 3054 नई अनुरक्षण नीति, 2018</u>**

(1) विभिन्न योजनाओं द्वारा निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए पथों के Google Spreadsheet को अद्यतन करें, विशेष रूप से वैसे पथ जिसमें Strentheing, Widening, Surface Renewal एवं general maintanance की आवश्यकता है।

(2) पथों के Surface Renewal के कार्य में तेजी लाया जाय एवं पथों की परतों का कार्य पूर्ण किया जाय।

(3) सभी बकाया भुगतान को अविलंब पूर्ण कर लिया जाय।

(4) सभी Culvert and Cross drainage Structure के Vents सफाई का कार्य अविलंब पूर्ण कर लिया जाय।

(5) सामान्य पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य को नियमित एवं पूर्ण करा लिया जाय।

अनुपालन :– सभी कार्यपालक
अभियंता, कार्य प्रमंडल/सभी
अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

17/3/23

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 3711 /दिनांक 17/7/2023

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य अंचल/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 3711 /दिनांक 17/7/2023

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 3711 /दिनांक 17/7/2023

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेव साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख